न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–50/2016 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या– 2016/00025

उनवान

जगत सिंह पुत्र श्री शिव सिंह उम्र 43 साल जाति ठाकुर निवसी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

श्रीमती गायत्री देवी पत्नि सत्यप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी मिढाकुर तहसील किरावली जिला आगरा।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 26.09.2016 उनवानी जगत सिंह बनाम श्रीमती गायत्री देवी मु0न0 263/13

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गंगाराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 08.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 26.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थी की ओर से रैस्पो0/अप्रार्थी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1145 रकवा 03 बीघा 09 विस्वा एवं 1146 रकवा 04 बीघा चाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास, अपीलाण्ट/प्रार्थी के पूर्वज गंगासिंह एवं साहब सिंह की छोडी हुई आराजी है। नारायण सिंह के गंगा सिंह व साहब सिंह दो पुत्र हुए। साहब सिंह रामचन्द्र को गोद चला गया। गंगा सिंह के पुत्र शिव सिंह एवं शिव सिंह की पत्नि शान्ती देवी, पुत्र जगत सिंह एवं पुत्री गीता, सीता उषा हैं। जिसमें अपीलाण्ट/प्रार्थी को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अपीलाण्ट/प्रार्थी के पिता का उक्त आराजी में न्यारान्यूर किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं था उक्त आराजी पर अपीलाण्ट/प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 6 बहिस्सा बराबर काश्त करते रहे हैं। अपीलाण्ट के पिता शिव सिंह की मृत्यु हो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गयी एवं पिता के स्थान पर अपीलाण्ट/प्रार्थी के नाम विरासत का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में खोला गया तो अपीलाण्ट/प्रार्थी की मॉ व बहन ने रिलीज डीड कर दी थी। परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त विवादित आराजीयात में रैस्पो0/अप्रार्थी का नाम पाया, तो अपीलाण्ट/प्रार्थी हैरान रह गया। रैस्पो0/अप्रार्थी ने अपीलाण्ट/प्रार्थी के पिता से उक्त विवादित आराजीयात का वयनामा अपने नाम करवा लिया। जबकि अपीलाण्ट/प्रार्थी के पिता का उक्त विवादित आराजीयात में से 1/7 हिस्सा बनता है। अपने हिस्से से अधिक आराजी का कोई विक्रय पत्र करा ही नहीं सकता। रैस्पो0/अप्रार्थी से वयनामा वापस कराने की बात कही तो वह साफ इंकारी हो गये एवं विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, वय, मुन्तकिल करने की धमकी दी। यदि रैस्पो0/अप्रार्थी अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने लिखित बहस पेश करते हुए, अपने मौखिक कथन में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं पर ही कोई विवेचन किया है अतः निर्णय अस्पष्ट है। विवादित आराजी अपीलाण्ट की पैतृक आराजी है, जो पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2012 एवं 2069–72 से बखूबी साबित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार पैतृक सम्पत्ति में पुत्रों व पुत्रियों का पिता के साथ जन्म से ही हिस्सा होता है। विवादित आराजी में अपीलाण्ट के पिता का केवल 1/7 हिस्सा बनता है एवं कानूनन अपने हिस्से से अधिक आराजी का वयनामा नहीं कराया जा सकता। इसलिए अपीलाण्ट के पिता द्वारा उनके हिस्से व अधिकारों से बाहर किया गया वयनामा गैर कानूनी एवं प्रारंभ से ही शून्य है, जिससे रैस्पो0 को कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरएलडब्ल्यू 1992(1) पेज 452, आरआरडी 1981 पेज 513, 2011 पेज 353, 1981 पेज 171, 2011 पेज 367, आरआरटी 2014(2) पेज 965, 2015(1) पेज 474, 2015(2) पेज 985, 2018(1) पेज 584, 2014–15 पेज 599, डीएनजे 2008(एस.सी) पेज 875, आरबीजे 2016 पेज 648 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी रैस्पो0 ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा अपीलाण्ट के पिता शिव सिंह से क्रय की है एवं तभी से विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। विवादित आराजी से अपीलाण्ट का कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। इसके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट स्वयं अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द हैं एवं अपील में इस तथ्य को छुपाकर आये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में दो दावे, एक अपीलाण्ट एवं दूसरा रैस्पो0 का विचाराधीन है एवं दोनों दावो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण हो चुका है अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज हुआ है एवं रैस्पो0 का स्वीकार हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा रैस्पो0 के स्वीकार हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 की अपील नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, जमाबन्दी संवत 2012 एवं संवत 2069–72 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि विवादित आराजी, अपीलांट की पैतृक भूमि है; चूंकि पक्षकारान् के अधिकार मूल वाद में, विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त तय होगें, परन्तु विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति होने से, अपीलाण्ट/वादी विवादित भूमि में कोपार्सनर है। अतः प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के स्वत्व का प्रकरण बनता है एवं दौराने वाद, विवादित भूमि खुर्द–बुर्द ना हो अतः सुविधा संतुलन भी अपीलाण्ट/वादी के हक में सिद्ध होती है। दौराने वाद, विवादित भूमि का हस्तान्तरण होने पर अपूर्णनीय क्षति एवं वाद जटिलता व बहुलता होगी। अतः दौराने वादकरण, वाद जटिलता, बहुलता से बचने एवं विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिए, स्थगन न्यायोचित है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 26.09.2016 अपास्त किये जाते हैं एवं रैस्पो0 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक विवादित आराजी को रहन, वय, मुन्तकिल नही करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official